राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर

आदेश

एकलपीठ दाण्डिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या- 6716/06
नरेन्द्र सिंह व अन्य बनाम राजस्थान राज्य

--

दिनांक :07..11.2006

**माननीय न्यायाधिपति श्री जितेन्द्र राय गोयल**

श्री पंकज गुप्ता, अधिवक्ता- अभियुक्त- प्रार्थीगण की ओर से
श्री आर पी कुलदीप, विद्वान लोक अभियोजक
मिस गायत्री राठौड़, अधिवक्ता- परिवादी की ओर से

--

अभियुक्त-प्रार्थीगण नरेन्द्र सिंह व श्रीमती अमृत कुमारी की ओर से यह अग्रिम अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र धारा 438 जाप्ता फौजदारी में प्रथम सूचना संख्या- 107/2006 पुलिस थाना- महिला (उत्तर),जयपुर अपराध अन्तर्गत धारा 406,498-A, व 304-बी भारतीय दण्ड संहिता के सदंर्भ में प्रस्तुत किया गया है।

इस पर पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी तथा केस डायरी एवं दौरान बहस प्रस्तुत सामग्री का अवलोकन किया गया।

विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त- प्रार्थीगण की ओर से तर्क दिया गया है कि उन्हें इस मामले में केवल इस कारण लिप्त कर लिया गया है क्योंकि वे सुमन कवंर के पति गजेन्द्र सिंह के निकट सम्बन्धी है। उनका यह भी तर्क रहा है कि अभियुक्त-प्रार्थीगण गजेन्द्र सिंह व उसकी पत्नी सुमन कवंर से अलग रहते थे तथा सम्भवत: सुमन कवंर किसी अन्य से विवाह करने को उत्सुक थी व गजेन्द्र सिंह से विवाह नहीं करना चाहती थी इसी कारण विवाह के कुछ समय बाद ही उसने आत्म हत्या कर ली। उनका यह भी तर्क है कि इस मामले में गजेन्द्र सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया था तथा जिसकी गिरफ्तारी के पश्चात

जमानत हो चुकी थी लेकिन वह इस रिपोर्ट जिसमें उसके परिवार वालों को भी लिप्त कर लिया गया था, से इतना दु:खी हो गया कि उसने स्वयं भी आत्महत्या कर ली व एक सुसाइड नोट भी छोड़ा उसमें यह अंकित किया है कि रिपोर्ट जो उसके व उसके परिवार वालों के विरूद्ध दर्ज करवायी गयी है, उससे व्यथित होकर वह आत्महत्या कर रहा है। उनका यह भी तर्क रहा है कि इस मामले में समस्त स्त्रीधन सह अभियुक्त गजेन्द्र सिंह की गिरफ्तारी के उपरान्त व तत्पश्चात् भी पुलिस ने जप्त कर लिया है। अपने तर्क के समर्थन में दौलत राम बनाम स्टेट ऑफ हरियाण 1995 (1) एस सी सी पेज-349 विधि दृष्टान्त का अवलम्बन लिया है।

विद्वान अधिवक्ता परिवादी ने तर्क दिया है कि दोनों ही पक्ष इस समय शोक संतप्त है तथा उनके मध्य अब कोई मन मुटाव नहीं है। इन परिस्थितियों में प्रार्थी- अभियुक्तगण का अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

हमने उभय पक्ष के तर्कों एवं दौरान बहस प्रस्तुत समग्र प्रलेखीय सामग्री का अवलोकन किया।

इस प्रक्रम पर इस मामले के गुणावगुण पर विशेष विवेचन किया जाना उपयुक्त नहीं है। किन्तु प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए तथा सह अभियुक्त गजेन्द्र सिंह के द्वारा आत्महत्या से पूर्व छोड़ा गया सुसाइड नोट व उभय पक्ष की ओर से किये गये कथनों को दृष्टिगत रखते हुए मेरी राय में प्रार्थीगण को धारा 438 दण्ड प्रक्रिया संहिता का लाभ दिया जाकर अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अत: अभियुक्त- प्रार्थीगण का अग्रिम जमानत के प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता हैं कि यदि प्रार्थीगण नरेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 गोविन्द 2. श्रीमती अमृत कुमारी पत्नी स्व0 श्री गोविन्द सिंह निवासीगण- बरनाला हाऊस, हल्दियों का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर को पुलिस थाना- महिला (उत्तर), जयपुर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या- 107/2006 में गिरफ्तार किया जावे तो उन्हें अन्वेषण अधिकारी/ गिरफ्तारी अधिकारी/ एस.एच.ओ. की

सन्तुष्टि पर प्रत्येक प्रार्थी द्वारा रूपये 1**0,000/- -10,000/- ( दस-दस** हजार रूपये मात्र) के स्वयं के व्यक्तिगत बन्ध पत्र व रूपये 5**,000/- 5,000/- (पांच-पांच** हजार रूपये मात्र) की दो- दो प्रतिभूति पत्र प्रस्तुत करने पर उन्हें निम्न शर्तों के साथ जमानत पर रिहा कर दिया जावे:

1. यह कि प्रार्थीगण पुलिस अधिकारी द्वारा पूछे जाने वाले परिप्रश्नों के उत्तर देने के लिए जैसे और जब अपेक्षित हो, उपलब्ध होंगे।
2. यह कि प्रार्थीगण इस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए मनाने के वास्ते प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: उसे कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देंगे।
3. यह कि प्रार्थीगण न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोडेंगे।
4. यह कि प्रार्थीगण भविष्य में इस तरह की प्रकृति के अपराध में लिप्त नहीं रहेंगे।

**(न्या0 जितेन्द्र राय गोयल )**